न्यायाधीश *सुवीर सहगल* **के समक्ष**

राहुल कुमार- *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - *उत्तरदाता*

2020 का सीआरएम-एम नंबर 19235

17 जुलाई 2020

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, धारा 482, 82-भारतीय दंड संहिता, 1860, धारा 174-ए-परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881, धारा 138, 141-याचिकाकर्ता को घोषित अपराधी घोषित करने के आदेश को रद्द करना और प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देना-चेक की अनादर-1881 अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत-पिता को दी गई सूचना-जमानती वारंट निष्पादित नहीं हुए-उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उद्घोषणा का आदेश दिया गया- याचिकाकर्ता उपस्थित नहीं हुआ- घोषित अपराधी घोषित किया गया और एसएचओ को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया- को चुनौती, इस आधार पर कि याचिकाकर्ता को उसके निवास स्थान पर तामील नहीं कराई गई थी - अदालत में पेश होने के लिए 30 दिनों की अनिवार्य अवधि नहीं दी गई थी - माना गया, शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता का सही पता प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए समन की तामील उस पर कभी प्रभावित नहीं हुई- मजिस्ट्रेट का आदेश उस पर कभी प्रभावी नहीं हुआ- मजिस्ट्रेट का आदेश आगे धारा 82 के अनिवार्य प्रावधानों को दर्शाता है जिसे संकलित नहीं किया गया है- 20.06.2019 के लिए उद्घोषणा प्रभावी है जबकि मजिस्ट्रेट ने 21.09.2019 को पेश होने की तारीख - इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने चेक की राशि के बराबर बैंक गारंटी देने और प्रस्तुत करने की पेशकश की - उसे अपराधी घोषित करने के आदेश के साथ-साथ धारा 147-ए के तहत प्राथमिकी रद्द कर दी गई।

और रूपशिकायत के अवलोकन से पता चलता है कि शिकायतकर्ता-प्रतिवादी नंबर 2 ने याचिकाकर्ता का सही पता नहीं दिया। इसलिए, एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत पर जारी किए गए समन की तामील याचिकाकर्ता पर कभी नहीं की गई थी। सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा ग्राम लोहारी राघो, जिला हिसार में की गई थी, जबकि याचिकाकर्ता आमतौर पर रतिया, जिला फतेहाबाद में रहता है और अपना व्यवसाय करता है। अंतरिम आदेश आगे दिखाते हैं कि उद्घोषणा 20.06.2019 के लिए प्रभावी की गई थी, जबकि ट्रायल मजिस्ट्रेट ने उद्घोषणा के बाद याचिकाकर्ता की उपस्थिति की तारीख के रूप में 21.09.2019 तय की थी। नतीजतन, सीआरपीसी की धारा 82 के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है और 21.09.2019 के आक्षेपित आदेश, अनुलग्नक पी-7, और उसके बाद की कार्यवाही रद्द की जा सकती है।

(पैरा 7)

आगे आयोजित, इसके अलावा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 में निहित प्रावधानों को एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए अधिनियमित किया गया है, अर्थात अभियुक्त की उपस्थिति को सुरक्षित करने के लिए। एक बार जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है, तो आरोपी भगोड़ा नहीं रह जाता। याचिकाकर्ता ने सभी निष्पक्षता में न केवल आत्मसमर्पण करने और कार्यवाही में शामिल होने की पेशकश की है, बल्कि विवाद में चेक की राशि के बराबर बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की भी पेशकश की है। याचिकाकर्ता का प्रस्ताव ईमानदार लगता है।

(पैरा 8)

संदीप सिवाच, अधिवक्ता, *याचिकाकर्ता के लिए।*

सुवीर सहगल जे (मौखिक)

(एक) कोविड-19 महामारी के कारण इस मामले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के लिए लिया गया है।

(दो) यह आदेश उपरोक्त दो आपराधिक विविध याचिकाओं का निपटारा करेगा क्योंकि वे एक ही कार्यवाही से उत्पन्न होती हैं।

(तीन) 2020 के सीआरएम-एम-19235 में की गई प्रार्थना न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हिसार द्वारा सीआईएस संख्या एन अधिनियम/2018 के 1713 में पारित आदेश दिनांक 21.09.2019, अनुलग्नक पी-7 को रद्द करने के लिए है, जिसका शीर्षक ***बलदेव बनाम कंबोज*** है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को एक घोषित व्यक्ति घोषित किया गया था और पुलिस स्टेशन बरवाला में दर्ज भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए के तहत एफआईआर संख्या 43 दिनांक 29.01.2020, जिला हिसार, अनुबंध पी-8, उसके बाद उत्पन्न होने वाली सभी कार्यवाहियों सहित। 2020 के सीआरएम-एम-19089 में, याचिकाकर्ता ने उक्त प्राथमिकी में अग्रिम जमानत मांगी है।

(चार) संक्षेप में, तथ्य यह है कि शिकायतकर्ता-प्रतिवादी नंबर 2, बलदेव मुंजाल ने याचिकाकर्ता के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (संक्षिप्त 'एनआई अधिनियम') की धारा 138/141 के तहत इस आरोप पर शिकायत दर्ज की थी कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता से 3 लाख रुपये की कुल बिक्री के लिए एक कार खरीदी थी, जिसमें से 2 लाख रुपये का भुगतान नकद में किया गया था और शेष 1 लाख रुपये की राशि का भुगतान दो चेकों के माध्यम से किया गया था प्रत्येक को 50,000 रुपये की दर से पेश किया गया, जिसे प्रस्तुत करने पर अस्वीकृत कर दिया गया। याचिकाकर्ता को जेएमआईसी, हिसार ने तलब किया था। नोटिस उसके पिता को दिया गया था और आरोपी को जारी किया गया जमानती वारंट उसकी मां को दिया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता सेवा के बावजूद पेश नहीं हुआ। बाद में उन्हें गैर जमानती वारंट के जरिए तलब किया गया था, जो बिना निष्पादित हुए वापस मिल गए थे। आदेश दिनांक 23.05.2019, अनुलग्नक पी-5 द्वारा, ट्रायल मजिस्ट्रेट ने दर्ज किया कि आरोपी याचिकाकर्ता फरार है। न्यायालय ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता की उपस्थिति 21.09.2019 के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा के माध्यम से सुरक्षित की जाए। दिनांक 21.09.2019, अनुलग्नक पी-7 के आदेश द्वारा, न्यायालय ने देखा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ उद्घोषणा जारी होने से 30 दिनों की अनिवार्य अवधि समाप्त हो गई थी और वह अदालत के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहा था। उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया और

संबंधित एसएचओ को उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 174-ए के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 174ए के तहत एफआईआर नंबर 43 दिनांक 29.01.2020, अनुलग्नक पी-8 दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता ने दिनांक 21.09.2019 के आदेश, अनुलग्नक पी-7 के साथ-साथ एफआईआर, अनुलग्नक पी-8 को चुनौती दी है।

(पाँच) याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता को उस पते पर नहीं दिया गया जहां वह रहता है। उन्होंने आधार कार्ड, अनुलग्नक पी-9 का हवाला देते हुए कहा है कि वह 2015 से वार्ड नंबर 14 राम नगर कॉलोनी, रतिया, जिला फरीदाबाद में रह रहे हैं, जबकि यह घोषणा ग्राम लोहारी राघो, जिला हिसार में की गई थी। उनका दूसरा निवेदन यह है कि उन्हें न्यायालय में उपस्थित होने के लिए 30 दिनों की अनिवार्य अवधि नहीं दी गई थी। उन्होंने 21.08.2019, अनुलग्नक पी-6 के आदेश का उल्लेख किया है, जिसमें कहा गया है कि उद्घोषणा "20.06.2019 के लिए" की गई थी। वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि किसी भी मामले में, उसके खिलाफ कार्यवाही एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत एक शिकायत मामले से संबंधित है जो एक जमानती अपराध है। वह प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करेगा और 1 लाख रुपये की बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा।

(छः) मैंने याचिकाकर्ता के वकील को सुना है और उनकी सक्षम सहायता के साथ पेपर बुक का अध्ययन किया है।

(सात) शिकायत, अनुलग्नक पी-1 के अवलोकन से पता चलता है कि शिकायतकर्ता-प्रतिवादी नंबर 2 ने याचिकाकर्ता का सही पता नहीं दिया। इसलिए, एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत पर जारी किए गए समन की तामील याचिकाकर्ता पर कभी नहीं की गई थी। सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा ग्राम लोहारी राघो, जिला हिसार में की गई थी, जबकि याचिकाकर्ता आमतौर पर रतिया, जिला फतेहाबाद में रहता है और अपना व्यवसाय करता है। अंतरिम आदेश आगे दिखाते हैं कि उद्घोषणा 20.06.2019 के लिए प्रभावी की गई थी, जबकि ट्रायल मजिस्ट्रेट ने उद्घोषणा के बाद याचिकाकर्ता की उपस्थिति की तारीख के रूप में 21.09.2019 तय की थी। नतीजतन, सीआरपीसी की धारा 82 के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है और 21.09.2019 के आक्षेपित आदेश, अनुलग्नक पी-7, और उसके बाद की कार्यवाही रद्द की जा सकती है।

(आठ) इसके अलावा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 में निहित प्रावधानों को एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए अधिनियमित किया गया है, अर्थात अभियुक्त की उपस्थिति को सुरक्षित करने के लिए। एक बार जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है, तो आरोपी भगोड़ा नहीं रह जाता। याचिकाकर्ता ने सभी निष्पक्षता में न केवल आत्मसमर्पण करने और कार्यवाही में शामिल होने की पेशकश की है, बल्कि विवाद में चेक की राशि के बराबर बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की भी पेशकश की है। याचिकाकर्ता का प्रस्ताव ईमानदार लगता है।

(नौ) नतीजतन, जेएमआईसी, हिसार द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 21.09.2019, अनुलग्नक पी-7, याचिकाकर्ता को एक घोषित व्यक्ति घोषित करते हुए और भारतीय दंड संहिता की धारा 147-ए के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 147-ए के तहत एफआईआर संख्या 43 दिनांक

29.01.2020, अनुलग्नक पी-8, पुलिस स्टेशन बरवाला, जिला हिसार में दर्ज की गई और इसके बाद की सभी कार्यवाही निम्नलिखित के अधीन रद्द कर दी जाती हैं: -

(१) याचिकाकर्ता आज से एक महीने की अवधि के भीतर यानी 17.08.2020 को या उससे पहले ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करेगा और कार्यवाही में शामिल होगा;

(२) आत्मसमर्पण करते समय याचिकाकर्ता को 1 लाख रुपये की बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी, जिसे वह शिकायत के निपटान तक वैध रखेगा, अनुबंध पी -1; और

(३) ऐसा करने पर, ट्रायल कोर्ट याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा कर देगा।

2020 के सीआरएम-एम-19235 को उपरोक्त शर्तों में अनुमति दी गई है।

(दस) ऊपर पारित आदेश के मद्देनजर, 2020 के सीआरएम-एम-19089 में अलग से कोई आदेश नहीं मांगे गए हैं।

डॉ. पायल मेहता

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

श्रेया बंसल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

अंबाला, हरियाणा